झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय,

झारखण्ड, राँची।

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग अन्तर्गत संचालित अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पी०वी०टी०जी०, को–एड, आश्रम एवं DAV बिरसा मुण्डा आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026–27 के रिक्ति के अनुसार वर्ग 06(VI), वर्ग 07(VII) एवं वर्ग 08(VIII) में नामांकन हेतु झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के निर्धारित अर्हताधारी इच्छुक छात्र–छात्राओं से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र दिनांक–20 जनवरी, 2026 से 20 फरवरी, 2026 तक आमंत्रित किये जाते हैं।

1. <u>परीक्षा का आयोजन, संचालन एवं परीक्षाफल का प्रकाशनः–</u> विभागीय पत्रांक–4141, दिनांक–24.12.2019 के आलोक में सभी संबंधित प्रमण्डलों के उप–निदेशक, कल्याण द्वारा किया जाएगा।
2. <u>रिक्ति की संख्याः–</u> झारखण्ड राज्यान्तर्गत सभी प्रमण्डलों के उप–निदेशक, कल्याण द्वारा उर्पयुक्त वर्णित विद्यालयों में कक्षावार रिक्ति का प्रकाशन किया जाएगा।
3. <u>आवेदन पत्र प्राप्त करने का स्थानः–</u> वर्ग 06(VI), वर्ग 07(VII) एवं वर्ग 08(VIII) का आवेदन प्रपत्र (Form) संबंधित जिला के परियोजना निदेशक, आई०टी०डी०ए० कार्यालय/जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय/प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी कार्यालय एवं संबंधित विद्यालय से प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से अपराह्न 05 बजे तक निःशुल्क वितरण किया जायेगा।

   नोटः– संबंधित जिला के परियोजना निदेशक, आई०टी०डी०ए० एवं जिला कल्याण पदाधिकारी आवेदन प्रपत्र (Form) सभी स्थानों पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायेंगे।
4. <u>आरक्षणः–</u> अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग के पत्रांक–4141, दिनांक–24.12.2019 के प्रावधानानुसार अनुमान्य। किसी कोटि में आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर प्रमण्डलीय उप–निदेशक, कल्याण विभागीय पत्रांक–पत्रांक–4141, दिनांक–24.12.2029 के आलोक में निर्णय लेंगे।
5. <u>उम्र सीमाः– आवेदन कर्ता की उम्र सीमा निम्नानुसार होगीः–</u>

क्र०	कक्षा	अधिकतम उम्रसीमा
1	कक्षा 06	12 वर्ष
2	कक्षा 07	13 वर्ष
3	कक्षा 08	14 वर्ष

6. वर्ग 06(VI), वर्ग 07(VII) एवं वर्ग 08(VIII) में नामांकन हेतु लिखित जाँच परीक्षा ली जायेगी, जिसके लिए छात्र–छात्रा का क्रमशः वर्ग 05(V), वर्ग 06(VI) एवं वर्ग 07(VII) में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

7. <u>परीक्षा का विषयः–</u> हिन्दी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी एवं सामाजिक विज्ञान होगा, जो बहुविकल्पीय (Objective) होगा।
8. आवेदन पत्र संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय में (प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से अपराह्न 05 बजे तक) जमा लिया जायेगा।
9. <u>आवेदन प्रपत्र भरने की तिथिः–</u> दिनांक–20 जनवरी, 2026 से 20 फरवरी, 2026 तक।
10. आवेदन प्रपत्र जमा करते समय आवेदन पत्र के साथ आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की प्रति संलग्न करना आव यक है।
11. <u>परीक्षा की तिथिः–</u> 08.03.2026 को अपराह्न 03:00 बजे से 05:00 बजे तक संबंधित जिला के उपायुक्त/जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आहूत की जायेगी।
12. <u>प्रवेश परीक्षाफल प्रकाशन की तिथिः–</u> मार्च के तृतीय सप्ताह में परीक्षाफल का प्रका न किया जायेगा।
13. नामांकन हेतु चयनित छात्र–छात्राओं की सूची विद्यालयों एवं जिला कल्याण पदाधिकारी के सूचना पट्ट एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी।
14. <u>छात्र–छात्राओं के Counselling की तिथि एवं नामांकन लेने की तिथि :–</u> परीक्षाफल के प्रका न के प चात्।
15. नामांकन के समय चयनित छात्र–छात्राओं को अपना प्रवेश पत्र (Admit Card) विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र एवं बी०पी०एल० या आय प्रमाण पत्र मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
16. गरीबी रेखा से नीचे आय वाले परिवार के बच्चों को ही नामांकित किया जायेगा। इसके लिए बी०पी०एल० की सूची में नाम, आय प्रमाण पत्र के आधार पर नामांकन की पात्रता निर्धारित की जायेगी।
17. जिन छात्र–छात्राओं के माता–पिता सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, उनके बच्चों का नामांकन हेतु आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। इस आशय का घोषणा पत्र आवेदक के माता–पिता/अभिभावक के द्वारा आवेदन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। असत्य/फर्जी घोषणा देने वाले अभिभावक के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कारवाई की जायेगी।
18. चयनित छात्र–छात्राओं को परीक्षाफल प्रका न एवं Counselling के प चात् नामांकन करना अनिवार्य होगा।
19. वर्ग 06(VI), वर्ग 07(VII) एवं वर्ग 08(VIII) में नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र–छात्राओं को सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय जहाँ अध्ययनरत हों, के प्रधानाध्यापक द्वारा उनके नामांकन आवेदन पत्र में अंकित छात्र–छात्रा का नाम, जन्म तिथि वर्ग 05(V), वर्ग 06(VI) एवं वर्ग 07(VII) में अध्ययनरत/उत्तीर्ण होने के तथ्यों को अपने विद्यालय की मुहर एवं अपना पूर्ण हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित कराते हुए आवेदन पत्र अग्रसारित करेंगे।
20. प्रवेश पत्र (Admit Card) जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय में जिला कल्याण पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत किया जायेगा।

21. आवेदक को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश पत्र (Admit Card) के साथ–साथ आधार कार्ड की छायाप्रति लाना आव यक है।
22. नामांकित होने वाले सभी छात्र–छात्राओं को सरकार के द्वारा भोजन पठन–पाठन सामग्री, चिकित्सा सुविधा एवं अन्य सारी सुविधाएं निःशुल्क दी जाती है।
23. प्रवेश परीक्षा वर्ग 06(VI), वर्ग 07(VII) एवं वर्ग 08(VIII) में में नामांकन हेतु क्रमशः वर्ग 05(V), वर्ग 06(VI) एवं वर्ग 07(VII) वर्ग स्तर के प्रश्न होंगे।
24. परीक्षाफल के प्रकाशन एवं नामांकन तक रिक्ति की संख्या घट–बढ़ भी सकती है।
25. आवेदक का झारखण्ड का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
26. इस विज्ञापन को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग/अद्योहस्ताक्षरी को होगा।
27. आवेदन प्रपत्र (Form) संलग्न (कुल 03 प्रपत्र) किया जा रहा है।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

आदिवासी कल्याण आयुक्त।

JHARNIYOJAN